



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt./2010/4-2/Vol.-IV/ 1362,

दिनांक : 18.08.2022

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी, प्रोफेसर, विधि विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, तक के लिए 'विधि विद्यापीठ' का 'अधिष्ठाता' नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत दिनांक 10.02.2020 को जारी अधिसूचना क्रमांक 006/Estt./2017/10/Vol.-XV/129 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
 (कादर नवाज़ खान)

कार्यकारी कुलसचिव

18/08/22

प्रति :

1) प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी

प्रोफेसर

विधि विभाग

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।

2) प्रो. मनोज कुमार

निदेशक,

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
4. अकादमिक निदेशक: क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
5. प्रभारी: क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
6. प्रभारी: सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर, अमरावती
7. कुलसचिव कार्यालय
8. वित्ताधिकारी कार्यालय
9. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. संबंधित पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली